न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर (सीकर)

उनवान संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
09 / 2017	12.05.2017	17 / 01 / 2025

पीठासीन अधिकारी - दमयन्ती कंवर (R.A.S.)

उनवान

1. सीताराम पुत्र स्व० बसन्तलाल जांगिड़ उम्र 72 वर्ष
2. मुरलीधर पुत्र स्व० बसन्तलाल जांगिड़ उम्र 55 वर्ष समस्त जाति जांगिड़ निवासीगण चमड़िया कॉलेज, गोगामेड़ी के पास वार्ड नम्बर 33 कस्बा फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर राज० जरिये मुख्तयार सीताराम पुत्र बसन्तलाल जांगिड़
3. अर्जुनलाल पुत्र स्व० बसन्तलाल जांगिड़ उम्र 52 वर्ष
4. भीमराज पुत्र स्व० बसन्तलाल जांगिड़ उम्र 52 वर्ष समस्त जाति जांगिड़ निवासीगण पंचमुखी बालाजी मन्दिर के सामने मण्डावा रोड़ वार्ड नम्बर 31 कस्बा फतेहपुर – शेखावाटी जिला सीकर राज०
5. मनोज कुमार पुत्र स्व० बसन्तलाल जांगिड़ उम्र 46 वर्ष जाति जांगिड निवासी जाति जांगिड़ निवासी चमड़िया कॉलेज, गोगामेड़ी के पास वार्ड नम्बर 33 कस्बा फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर राज० जरिये मुख्तयार सीताराम पुत्र बसन्तलाल जांगिड़
6. शंकरलाल पुत्र स्व० जगदीशप्रसाद जांगिड उम्र 39 वर्ष जाति जांगिड निवासी चमड़िया कॉलेज, गोगामेड़ी के पास वार्ड नम्बर 33 कस्बा फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर राज० हाल आबाद सलीम चाल रूम न० 9 चिमट पांडा मरोल नाका अन्धेरी ईस्ट मुम्बई 400059 जरिये मुख्तयार सीताराम पुत्र बसन्तलाल जांगिड़

..... प्रार्थीगण

बनाम

1. नगरपालिका मण्डल फतेहपुर शेखावाटी, जरिये अधिशाषी अधिकारी
2. तहसीलदार, फतेहपुर जिला सीकर राज०

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0का0 अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता –

1. श्री राजकुमार शर्मा प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री गिरधारीलाल निर्मल अप्रार्थीगण सं. 1 की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.01.29 12:51:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इन कथनों के साथ पेश किया कि कि उपरोक्त उनवानी वाद प्रार्थी वादीगण ने माननीय न्यायालय मे विधिवत रूप से प्रस्तुत कर दिया है जिसमें दर्ज तथ्यों, संलग्न दस्तावेजात व प्रार्थना पत्र की पुष्टि मे शपथ पत्र से प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी वादीगण के पक्ष में है जिसमें प्रार्थीगण की सफलता सुनिश्चित है।

आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 657/1 रकबा 0.18 हैक्टयर किस्म बारानी–3 लगानी 0.18 पैसा खसरा नम्बर 659/1 रकबा 1.14 हैक्टयर बारानी चाहरम लगानी 1.14 रू0, खसरा नम्बर 660/2/2 रकबा 0.85 हैक्टयर किस्म बंजड़ टीबा लगानी 0.16 रू0 वाके कस्बा फतेहपुर जिला सीकर में अवस्थित है उक्त भूमि को इस प्रार्थना पत्र में आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि है जिसको पूर्व मे प्रार्थीगण के पिता बसन्ता रामू काश्त करते थे उक्त बसन्तारामू के प्रार्थीगण पुत्र वारिस है।

वादग्रस्त भूमि की गिरदावरी सम्वत् 2023 से 2026 तक में वादग्रस्त भूमि को प्रार्थीगण के पिता बसन्ता रामू ने काश्त किया तथा गिरदावरी में मोठ, बाजरा एवं गुंवार की काश्त का उल्लेख है किन्तु प्राथीगण के पिता का तथा अन्य काश्तकार का नाम का उल्लेख सहवन से दर्ज नहीं हुआ किन्तु वादग्रस्त भूमियां लगातार प्रार्थीगण के पिता व प्रार्थीगण के द्वारा काश्त की जाती रही है। वादग्रस्त भूमि की गिरदावरी सम्वत् 2031–34 में प्रार्थीगण के पिता की काश्त लगातार चली तथा गिरदावरी के कॉलम संख्या 16 में प्रार्थीगण के पिता बसन्ता रामू के नाम का अंकन आया है तथा काश्त में मोठ, गुंवार बाजरा की काश्त का अंकन आया है इससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के पिता ने वादग्रस्त भूमियों को लगातार निरन्तर अपने जीवन पर्यन्त काश्त किया था।

वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण के पिता की लगातार काश्त चली आ रही थी उसके आधार पर प्रार्थीगण के पिता बसन्ता रामू को दिनांक 20–12–1974 को धारा 91 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू अधिनियम 1956 का नोटिस बाबत खसरा नम्बर 659 में रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा पुख्ता, खसरा नम्बर 660/2 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा पुख्ता में काश्त करने का दिया। इसके दिनांक 27–10–1977 को खसरा नम्बर 659/1 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा पुख्ता खसरा नम्बर 660 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा पुख्ता को, काश्त करने पर नोटिस तहसीलदारजी फतेहपुर ने दिया इसी प्रकार एक नोटिस दिनांक 31–12–1975 को धारा 91 का नोटिस तहसीलदारजी फतेहपुर ने खसरा नम्बर 660/2 सिवाय चक में से रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा पुख्ता को तथा एक नोटिस दिनांक 24–08–1980 को खसरा नम्बर 657/1 रकबा 13 बिस्वा को काश्त प्रार्थीगण के पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.01.29 12:31:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

बसन्ता रामू को दिया जो बाद में सभी कार्यवाही ड्रोप हुई। इससे भी स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पर हमेशा से प्रार्थीगण के पिता बसन्ता रामू का कब्जा काश्त लगातार साधिकार खुले तौर पर चली आ रही है।

प्रार्थीगण भी अपने पिता के जीवनकाल में पिता के साथ काश्त करते थे तथा काश्त किया करते थे और बसन्तारामू की मृत्यु के पश्चात् आज तक प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि को लगातार साधिकार खुले तौर पर काश्त करते चले आ रहे है तथा प्रार्थीगण ने वादग्रस्त भूमि के चारो तरफ पुख्ता लोहे के कंटीले तारों तथा लोहे के एंगल से तारबन्दी कर रखी है तथा पुख्ता लोहे का गेट लगा रखा है तथा शांतिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे है।

प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि पर पिछले करीब 60 वर्षों से कब्जा काश्त, लगातार साधिकार खुलेतौर पर बिना रूकावट निरन्तर एवं निर्वाध चला आ रहा है तथा पूर्व में प्रार्थीगण के पिता वादग्रस्त भूमि को काश्त करते थे तथा प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि पर अपने पिता के जीवनकाल से तथा पिता की मृत्यु के पश्चात् से आज तक वादग्रस्त भूमि को काश्त शान्तिपूर्वक करते चले आये हैं तथा कब्जा मुखालफाना के आधार पर तथा निरन्तर काश्त के आधार पर प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि का नियमन अपने पक्ष में करवाने के अधिकारी है तथा वादग्रस्त भूमि की खातेदारी की उदघोषणा करवाने के अधिकारी है तथा बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ के आधार पर भी प्रार्थीगण खातेदारी की उदघोषणा के भी अधिकारी है।

तहसीलदारजी फतेहपुर ने बहुत गलत आधार पर तथा बिना मौके की जांच किये और बिना प्रार्थीगण को सुनवाई का अधिकार दिये तथा बिना किसी प्रकार का नोटिस दिये वादग्रस्त भूमि की खातेदारी सिवाय चक काबिल काश्त लगानी मकबूजा सरकार से नगरपालिका मण्डल फतेहपुर के नाम दिनांक 02–05–2012 को जरिये नामान्तरकरण संख्या 4792 दिनांकित 02–05–2012 को कर दी उक्त नामान्तरकरण विधि विरूद्ध एकतरफा तथा गलत रूप से भरा गया है क्योंकि वादग्रस्त भूमि की किस्म काबिल काश्त तथा लगानी होने से तथा वादग्रस्त भूमि का कब्जा काश्त लगातार 60 वर्षो से प्रार्थीगण की लगातार निर्बाध, निरन्तर खुले तौर पर तथा मुखालफाना होने से उक्त वादग्रस्त भूमि की खातेदारी प्रार्थीगण के पक्ष में नियमन होकर होनी चाहिये थी किन्तु तहसीलदारजी ने बिना मौके की जांच कर तथा बिना प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये उक्त नामान्तरकरण भरा जो प्रार्थीगण के अधिकारों के प्रति अप्रभावी एवं शून्य है तथा उक्त नामान्तरकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.01.29 12:51:25 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि से कुछ भी लेना देना नहीं है, फिर भी अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को ऐलानियां धमकी दे रहे हैं कि प्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर देगें जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है इस कारण अप्रार्थीगण को प्रतिबंधित करवाये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के काश्तकार है तथा वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण की कब्जा काश्त 60 वर्षों से लगातार, साधिकार, निरन्तर, निर्बाध तथा खुले तौर पर होने से प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि की खातेदारी अपने नाम उदघोषित करवाने के अधिकारी है इस कारण यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम बनाने तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी ना करने को कहा तो अप्रार्थीगण दिनांक 20–04–2017 को इंकार हो गये इस कारण भी यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी प्रतिवादीगण को मय नौकर, चाकर, अधिकारी, सर्वाधिकारी, प्रतिनिधी, कर्मचारी सहित जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावे कि वो प्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 657/1 रकबा 0.18 हैक्टयर, खसरा नम्बर 659/1 रकबा 1.14 हैक्टयर, खसरा नम्बर 660/2/2 रकबा 0.85 हैक्टयर वाके कस्बा फतेहपुर से बेदखल नहीं करे तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलअन्दाजी वाद के निर्णय तक करने से बाज रहे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री गिरधारीलाल एड. ने मूल वाद में वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1 को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 1 की जवाबदेही बंद की गयी। अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद तामील के हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान् की बहस सुनी। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के कथनों को दौहराया। वकील प्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस कथन किये गये कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में प्रार्थीगण के पिता बसन्तलाल का उक्त विवादित भूमि पर गत 70 वर्षों से कब्जा है तथा प्रार्थीण ही इस भूमि को काश्त करते आ रहे है। बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन, मनन अवलोकन किया गया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्को पर भी विचार किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.01.29 12:31:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर(राज.)

पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने पर परिस्थिति निम्न प्रकार है कि– विवादित भूमि खसरा नम्बर 657/1 रकबा 0.18 हैक्टयर किस्म बारानी–3 लगानी 0.18 पैसा खसरा नम्बर 659/1 रकबा 1.14 हैक्टयर बारानी चाहरम लगानी 1.14 रू0, खसरा नम्बर 660/2/2 रकबा 0.85 हैक्टयर किस्म बंजड़ टीबा लगानी 0.16 रू0 वाके कस्बा फतेहपुर जिला सीकर पर वर्तमान में प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। पत्रावली पर उपलब्ध छायाप्रति खसरा गिरदावरी सम्वत् 2027–30 ग्राम कस्बा फतेहपुर में उक्त भूमि प्रार्थीगण के पूर्वज पूरण जी खाती के नाम दर्ज थी। नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2023–27 में प्रार्थीगण के पिता बसन्ता वल्द रामू खाती कृषक दर्ज है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से प्रार्थीगण द्वारा अपने पिता के नाम के अन्य दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये है। विवादित भूमि पर स्वत्व प्रमाणित होते है या नहीं इस सम्बन्ध में मूलवाद के निस्तारण पर सम्यक विवेचन किया जायेगा, न कि प्रार्थीगण के इस प्रार्थना पत्र पर। किन्तु प्रार्थी के उक्त दस्तावेजो से विवादित आराजी में स्वत्व होना प्रथम दृष्ट्या तो प्रतीत होते है।

विवादित भूमि पर भौतिक रूप से कौन काबिज है, इस सम्बन्ध में प्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि पर अपना–अपना कब्जा होनें के कथन किये है। किन्तु कब्जें के सम्बन्ध में उभयपक्ष द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। जबकि प्रार्थी का कथन है कि विवादित भूमि पुश्तेनी भूमि है जिस पर प्रार्थी का जन्म से हिस्सा निहित है, जिसके सम्बन्ध में मूलवाद में तय किया जायेगा। इस प्रकार सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रकट होता है।

अप्रार्थी संख्या 1 वर्तमान में वादग्रस्त आराजी के खातेदार की हैसियत रखते है, किन्तु विवादित सम्पूर्ण आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 का ही कब्जा हो ऐसा भी प्रमाणित नहीं है। प्रार्थीगण के भी विवादित आराजी में प्रथम दृष्ट्या स्वत्व होना जाहिर आता है। प्रार्थी के स्वत्वों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण के समय तय किया जायेगा। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार विवादित आराजी की खातेदारी का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी को नुकसान पंहुचाया जाता है तो वाद बहुलताऐं उत्पन्न होगी एवं अपरिमित क्षति होनें की पूर्ण संभावना प्रार्थीगण को ही है। ऐसी स्थिति में विवादित आराजी को मूलवाद के निस्तारण पर्यन्त सुरक्षित रखा जाना न्यायालय का कर्त्तव्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.01.29 12:31:25 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण को या प्रतिपक्षीगण को विवादित आराजी पर या उसके हिस्से पर क्या हक अख्त्यार है या होने चाहिये इसका विनिश्चय मूलवाद पर सम्यक साक्ष्योपरान्त तथा सम्यक विचारण उपरान्त विधि अनुसार मेरिट पर होना है न कि प्रार्थीगण के इस प्रार्थना पत्र के आधार पर। किन्तु मूलवाद के निस्तारण तक विवादित आराजीयात् को सुरक्षित एवं संरक्षित बनाये रखनें हेतु अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित है।

अतः उपर्युक्त विवेचना अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत आराजी वाके कस्बा फतेहपुर विवादित भूमि खसरा नम्बर 657/1 रकबा 0.18 हैक्टयर, खसरा नम्बर 659/1 रकबा 1.14 हैक्टयर, खसरा नम्बर 660/2/2 रकबा 0.85 हैक्टयर वाके कस्बा फतेहपुर भूमि के मौके तथा राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति मूलवाद के निस्तारण तक बनाये रखे है।

पत्रावली बाद तामील तकमील नम्बर से कम की जावे तथा निर्णीत में गणना की जाकर मूलवाद मि0नं0 17/2017 के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनॉक 17/01/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.01.29 12:31:25 IST
Reason: SelfAttested